न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या 3/6/16

1. अमरसिंह पुत्र शंकरया दत्तक पुत्र भौंरया जाति मीना
2. संतोशी देवी वेवा भौंरया जाति मीना

निवासीयान ग्राम रिंगसपुरा तहसील महवा हाल तहसील कठूमर

3. चमेली पुत्री भौंरया जाति मीना निवासी वैर तहसील वैर
4. सुमती पुत्री भौंरया जाति मीना निवासी वैर तहसील वैर
5. रामपति पुत्री भौंरया पत्नी छाज्या जाति मीना निवासी बन्दोकर तहसील व जिला दौसा

——— प्रार्थीयान

बनाम

1. नरसी पुत्र दीपा जाति मीना
2. छाज्या पुत्र दीपा जाति मीना

निवासीयान ग्राम रींगसपुरा तहसील महवा हाल तहसील कठूमर

3. छोटकी पुत्री अणची वेवा भौमा जाति मीणा (फौत)
4. हरीराम पुत्र भौमा जाति मीना निवासी जटबाडा तहसील महवा जिला दौसा

———अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0

आदेश

दिनांक 11/2/2019

पत्रावली बास्ते आदेश प्राप्त हुई। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीयान के बालिद भौंरया (मृतक) ने प्रतिवादी नरसी वो छाज्या के विरूद्व एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 43/88 (111/90) का विचारण न्यायालय सहायक कलक्ट्रर महवा के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा भूमि वाके ग्राम रींगसपुरा में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु किया एंव प्रतिवादीगण नरसी छाज्या वगैरा वो मु0 छोटकी ने भौंरया के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष धोशणा वो स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 3/91 प्रस्तुत कर ग्राम रींगसपुरा तहसील महवा हाल तहसील कठूमर की आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 715, 716, 719 को अपने कब्जे की आराजी बताते हुये बादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने वो भौंरया को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिये इस्तदुआ चाही उक्त दोनों वादों का निस्तारण विचारण न्यायालय ने एक साथ कर वादीगण भौंरया के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया और अप्रार्थीया नरसी छाज्या वो मु0 छोटकी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिकी कर वादग्रस्त आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी भौंरया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिस समय उक्त दोनों दावों का निर्णय किया गया था उस समय विवादित आराजी प्रार्थीयान के पिता भौरया की खातेदारी में दर्ज थी। जो निर्णय दिनांक 18.08.1993 के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया था जिस निर्णय एंव डिकी की पालना में प्रार्थीयान के मृतक बालिद भोंरया का नाम कलमजन कर उक्त आराजी अप्रार्थीयान नरसी वगैरा के नाम दर्ज कर दी। जिन निर्णयों की अपील पक्षकारान ने अपील संख्या 73/93 एंव 253/94 न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की थी उक्त दोनों अपीलों का निर्णय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने दिनांक 06.10.2015 को इस आशय का किया कि प्रार्थीयान की दोनों अपीलों को स्वीकार कर अपीलार्थीयान का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाकर प्रत्यक्षीगण/अप्रार्थीयान को प्रतिबन्धित किया जाता है कि वे अपीलार्थी/वादीगण/प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदाजी ना करे एंव प्रत्यक्षीगण/अप्रार्थीयान का वाद जो हम प्रार्थीयान के विरूद्व घोशणा एंव स्थायी निशेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में किया था को खारिज कर दिया जो आदेश आज भी यथावत जारी है। विचारण न्यायालय सहायक कलक्ट्रर महवा के आंदेश दिनांक 18.6.1993 से प्रार्थीयान वादीगण का वाद खारिज होने से एंव प्रतिवादी प्रत्यक्षीगण का वाद घोशणत्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी होने के कारण उक्त आराजी की खातेदारी का इन्तकाल मुताविक निर्णय प्रत्यर्थी/अप्रार्थीयान के नाम कर दिया जो इन्द्राज आज भी इन्हीं के नाम जारी है जवकि इससे पूर्व उक्त आराजी की खातेदारी का इन्तकाल प्रार्थीयान के बालिद भौरया के नाम खातेदारी में दर्ज था चूँकि न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां से अपील संख्या 28/2014 व 29/2014 का निर्णय दिनांक 06.10.2015 को कर मृतक भौंरया बनाम नरसी वगैरा की अपील स्वीकार कर ली गयी है जिसमें अप्रार्थीयान को हम प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 158 में दखलनदाजी ना करने वावत पाबन्द कर दिया है तथा प्रत्यक्षीगण/अप्रार्थीयान का विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया है। जो पूर्व मे विचारण न्यायालय ए सी एम महवा के आदेश दिनांक 18.08.1993 से पूर्व भौंरया के नाम खातेदारी थी और इस निर्णय के वाद में प्रत्यक्षीगण के नाम हो गयी थी उसे कलमजन किया जाकर पूर्व की स्थिति में भौंरया पुत्र सुक्का मृतक वो उसके वारिसान प्रार्थीयान के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलव किया गया। सायलान के प्रार्थना पत्र पर गैरसायलान की तलवी रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। दिनांक 27.06.2018 को गैरसायलान बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील के बाबजूद भी हाजिर नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थीयान की एकपक्षिय वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा वाके ग्राम रिंगसपुरा तहसील कठूमर वावत एक राजस्व वाद संख्या 43/88(111/90) न्यायालय सहायक कलेक्ट्रर महवा जिला दौसा के समक्ष प्रार्थीयान के बालिद भौंरया ने तथा एक वाद संख्या 3/91 नरसी छाज्या वगैरा ने भौंरया के विरूद्व घोषणात्मक वो स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था। उक्त दोनों वादों का माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारण करते हुये भौंरया के वाद को खारिज कर दिया व अप्रार्थीयान नरसी वगैरा के वाद को डिकी कर खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। माननीय न्यायालय के निर्णय एंव डिकी की पालना में उक्त आराजी से प्रार्थीयान के बालिद भौंरया का नाम कलमजन कर अप्रार्थीयान नरसी वगैरा की खातेदारी का इन्तकाल दर्ज हो गया। जिस निर्णय एंव डिकी दिनांक 18.08.1993 की दोनों प्रार्थीयान ने अपील संख्या 73/93 एंव 253/94 न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की थी जो अपीलें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2015 को दौनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रार्थीयान का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को प्रतिबन्धित किया गया कि वो खसरा नम्बर 158 रकवा 8 वीघा 9 विस्वा के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलनदाजी ना करें। अप्रार्थीयान का वाद जो प्रार्थीयान के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में किया था जो खारिज कर दिया। जो आदेश आज भी यथावत है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्ट्रर महवा के निर्णय एंव डिकी की पालना में मृतक भौंरया का नाम कलमजन कर अप्रार्थीयान की खातेदारी दर्ज की गयी है। अप्रार्थीयान का विचारण न्यायालय का वाद भूप्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा खारिज कर दिये जाने से अप्रार्थीयान का नाम राजस्व रेकार्ड से कलमजन कर रेकार्ड की पूर्व स्थिति मृतक भौंरया व उसके वारिसान प्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज किया जावे। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय सहायक कलेक्ट्रर महवा के निर्णय की पालना में भौंरया की खातेदारी को कलमजन कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 158 अप्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज कर दी थी उसे कलमजन कर निर्णय दिनांक 06.10.2015 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय मुताविक खसरा नम्बर 158 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिंगसपुरा को पूर्व की स्थिति में भौंरया पुत्र सुक्का (मृतक) एंव प्रार्थीयान के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर के नाम जारी कर राजस्व रेकार्ड की पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व न्यायालयों के निर्णयों की सत्यप्रतिलियों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता सायलान की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। अधिवक्ता सायलान के हम इस कथन से सहमत है कि निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.08.1993 न्यायालय सहायक कलक्ट्रर महवा की पालना में राजस्व रेकार्ड से प्रार्थीयान के बालिद मृतक भौंरया पुत्र सुक्का का नाम कलमलन कर अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी का इन्तकाल दर्ज किया गया है। इसके वाद माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के द्वारा प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान की कोस अपीलों का दिनांक 06.10.2015 को निर्णय हुआ है जिसमें प्रार्थीयान के बालिद मृतक भौंरया की अपील स्वीकार कर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया गया है तथा अप्रार्थीयान का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत उदघोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज कर दिया गया है। इस वजह सें इस निर्णय एंव डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में हुई तब्दीली को पुनः पूर्व की स्थिति में लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्ट्रर महवा के निर्णय एंव डिक्री की पालना में आराजी खसरा नम्बर 158 वाके ग्राम रींगसपुरा तहसील कठूमर जिसके हाल खसरा नम्बर 704, 705, 706, 707, 715, 718, 719 वाके ग्राम रीगसपुरा प्रार्थीयान के बालिद मृतक भौंरया के नाम को कलमजन कर अप्रार्थीयान नरसी वगैरा के नाम खातेदारी दर्ज की गयी है उसे पूर्व की स्थिति में भौंरया पुत्र सुक्का मृतक वो उसके वारिसान प्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज कर पूर्व रेकार्ड की स्थिति कायम करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जयसिह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11/12/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner